उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1206/ग्यारह्-2-21-9(47)/17टीसी163-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(216) -2021
लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल,परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना सं0-क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

क. अनुसूची I – 2.5% में, -

क्रम संख्या 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

ख. अनुसूची II – 6% में,

क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"171क1	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो ।"

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव